"स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवेल स्टियरिंग कमेटी/"स्टेट हाई पावर्ड कमेटी" (एस.एच.पी.सी.) की प्रथम बैठक दिनांक 23.06.2015 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

सर्वश्री–

1– डॉ. अनूप पाण्डेय, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
2– चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– अरूण सिंघल, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– जितेन्द्र कुंमार, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– मुकेश मित्तल, सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– श्रीप्रकाश सिंह, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– सुश्री नीना शर्मा, सचिव, गृह — विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– शैलेन्द्र विकम सिंह, निदेशक, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
10– हरि कान्त त्रिपाठी, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11– पी. के. पाण्डेय, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12– विवेक वार्ष्णेय, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13– ए0 के0 पाण्डेय, संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14– सुरेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
15– उमा शंकर सिंह, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
16– योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी, उप सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
17– जे. के. शुक्ल, पुलिस अधिक्षक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
18– अविनाश कृष्ण सिंह, कार्यवाहक निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
19– उदय राज सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
20– पी. के. सिंह, संयुक्त निदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
21– पी.के. श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
22– सुखेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
23– प्रेम आसूदानी, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
24– अनूप कुमार सक्सेना, निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
25– ए.के. राय, महाप्रबंधक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
26– अमजद हुसैन, उप निदेशक, सूचना, लखनऊ।

बैठक में सर्वप्रथम कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय बैठक में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा नामित श्री शैलेन्द्र विकम सिंह, निदेशक (पी.एच.ई./एच.सी. डिविज़न), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्टेट लेवेल स्टियरिंग कमेटी/एस0एच0पी0सी0 के गठन तथा बैठक में "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रमुख बिन्दुओं को संक्षेप में अवगत कराया गया।

2— निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम का शुभारम्भ मा. प्रधान मन्त्री, भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को किये जाने, कार्यक्रम का संचालन शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किये जाने, भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम की अवधि 5 वर्ष अर्थात 2 अक्टूबर, 2014 से 2 अक्टूबर, 2019 तक निर्धारित किये जाने तथा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम का पहचान चिन्ह (लोगो) एवं टैग—लाइन से संक्षेप में अवगत कराया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त नगर निकाय के क्षेत्रों में घरेलू शौचालय से वंचित 80 प्रतिशत घरों के लिये नये घरेलू स्वच्छ शौचालय तथा अवशेष 20 प्रतिशत घरों के लिये सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य, 60 प्रतिशत पिट—युक्त घरेलू शौचालय एवं शत प्रतिशत इन—सैनीटरी (बहाव/उठाऊ/सर्विस) शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित करने सम्बन्धी निर्माण कार्य, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का निर्माण कार्य, राज्य मिशन निदेशालय/नगर निकाय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग (क्षमता संवर्धन) एवं प्रशासनिक कार्य तथा जन—जागरूकता व जन—सहभागिता एवं आइ.ई.सी. सम्बन्धी कार्य तथा "सिटी सैनिटेशन प्लान" एवं तद्नुसार "स्टेट सैनिटेशन प्लान" सम्बन्धी कार्य सम्मिलित होने से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालन, अनुश्रवण तथा कियान्वयन के लिये यथावश्यक दिशानिर्देश प्रदान किये जाने हेतु सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में "नेशनल एड्वाईज़री एंड रिव्यू कमेटी" (एन.ए.आर.सी.) का गठन किया जा चुका है तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में "स्टेट हाई पावर्ड कमेटी" (एस.एच.पी.सी.) का गठन एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन राज्य मिशन निदेशालय का गठन जनपद स्तर पर सम्बंधित मा. सांसद की अध्यक्षता में "डिस्ट्रिक्ट लेवेल रिव्यू एंड मानीटरिंग कमेटी" (डी.एल.आर.एम.सी.) का गठन, जिसकी अपेक्षा भारत सरकार द्वारा की गई है, के दायित्वो/ अधिकारों से भी अवगत कराया गया। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं के डी0पी0आर0 कार्य पर व्यय की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जायेगी।

3— <u>"राज्य—स्तरीय हाई पावर्ड कमेटी" (एस.एच.पी.सी.) का औपचारिक गठन।</u>

अवगत कराया गया कि भारत सरकार की अपेक्षानुसार शहरी क्षेत्रों में शत प्रतिशत स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के सम्बंध में समयबद्ध तरीके से कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति (स्टेट लेवेल स्टियरिंग कमेटी) का गठन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया है। 'स्वच्छ भारत मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षानुसार उपरोक्त राज्य स्तरीय संचालन समिति का नाम **"राज्य—स्तरीय हाई पावर्ड कमेटी"** (एस.एच.पी.सी.) में परिवर्तित किये जाने तथा समिति में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक (पी. एच.ई./एच.सी. डिविज़न), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास /वित्त विभाग/नियोजन/राजस्व/आवास एवं शहरी नियोजन/बेसिक शिक्षा/पंचायतीराज /ग्राम्य विकास/पर्यावरण/ पर्यटन/ऊर्जा/गृह /क्रीड़ा व खेलकूद/संस्कृति/सूचना/समाज कल्याण/स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा सचिव/निदेशक, कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ व निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को सदस्य तथा निदेशक, निदेशालय/स्टेट मिशन डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश को सदस्य सचिव नामित जाना प्रस्तावित किया गया।

सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन इस टिप्पणी के साथ प्रदान किया गया कि निदेशक, निदेशालय समिति में आवश्यकतानुसार विभागों के अधिकारीगण को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

अवगत कराया गया कि प्रश्नगत बैठक पूर्व में गठित स्टेट लेविल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के रूप में आहूत की गयी है। भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाना है। तथा प्रश्नगत बैठक में शेष अन्य सदस्यों को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो उपस्थित है। अतः प्रश्नगत बैठक को स्टेट हाई पावर्ड कमेटी की मान्यता प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया, जिस पर सहमति प्रदान की गई।

{कार्यवाहीः नगरीय निकाय निदेशालय/नगर विकास विभाग}

4—**'कॉन्सेप्ट नोट/कार्य योजना' का अनुमोदन।**

अवगत कराया गया कि 'स्वच्छ भारत मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों की 630 नगर निकायों (जिनके विवरण सेन्सस् 2011 की गणना में उपलब्ध करायी गई है) में भारत सरकार की अपेक्षा एवं गाइड—लाइन्स (टूलकिट) के अनुसार 2 अक्टूबर, 2019 से पूर्व सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तैयार किये गये ''कॉन्सेप्ट नोट/कार्य योजना'' अनुमानित लागत रू. 6095.6662 करोड़ (केन्द्रांश की धनराशि रू. 1622.3986 करोड़ सम्मिलित है) को नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। उपरोक्त कार्य योजना में 822249 नग नये घरेलू स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कार्य, हेतु रू0 1446.3360 करोड़, 123657 नग घरेलू पिट—युक्त शौचालयों हेतु रू0 133.4877 करोड़, तथा 228798 नग घरेलू अस्वच्छ (बहाव/उठाऊ/सर्विस) शौचालयों का स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किये जाने हेतु रू0 246.9875 करोड़ रूपये की लागत से सम्बंधी निर्माण कार्य। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आवश्यक संख्या में सामुदायिक शौचालय (कुल 43,370 सीटों रू0 281.9050 करोड़ लागत का प्राविधान किया गया है) तथा सार्वजनिक शौचालय के (कुल 31,256 सीटों रू0 234.4210 करोड़ लागत का प्राविधान किया गया है) का निमार्ण कार्य तथा 601 नगर निकायों में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाएं रू0 3224.80 करोड़ से एवं राज्य मिशन निदेशालय/नगर निकाय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग (क्षमता संवर्धन)/प्रशासनिक कार्य रू0 87.7300 करोड़ का तथा जन—जागरूकता एवं जन—सहभागिता तथा आइ.ई.सी. सम्बन्धी कार्य रू0 440.00 करोड़ के उपर्युक्त कार्य योजना के सापेक्ष शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुल वर्ष 2014—15 के लिये रू. 86.07 करोड़ केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय माध्यमिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में तथा राज्य 'परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश द्वारा निजी (प्राइवेट) भवनो में संचालित कतिपय बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में आवश्यक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया गया।

सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव/कॉन्सेप्ट नोट/कार्य—योजना का कार्योत्तर अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया।

{कार्यवाहीः नगरीय निकाय निदेशालय/नगर विकास विभाग/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/सी. एण्ड डी. एस./राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश/सम्बंधित नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, सम्बंधित नगर निकाय}

5— **केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश, निकायांश व अन्य का निर्धारण।**

अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रम के अन्तर्गत गाइड—लाइन्स {टूलकिट} के अनुसार उपर्युक्त कार्य योजना में घरेलू स्वच्छ शौचालय के निर्माण कार्य की लागत रू. 16000/— से रू0 19000/— प्रति शौचालय {निर्धारित केन्द्रांश रू. 4000/— प्रति शौचालय सम्मिलित}, घरेलू पिट—युक्त शौचालय व घरेलू अस्वच्छ (बहाव/उठाऊ/ सर्विस) शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किये जाने सम्बंधी निर्माण कार्य की लागत रू. 10000/— से रू0 11,500/— प्रति शौचालय

{निर्धारित केन्द्रांश रू. 4000/–प्रति शौचालय सम्मिलित}, सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य की लागत रू. 65000/– प्रति सीट जिस पर 40 प्रतिशत {निर्धारित केन्द्रांश रू. 26000/– प्रति सीट सम्मिलित}, सार्वजनिक शौचालय के निर्माण कार्य की लागत रू. 75000/– प्रति सीट {निर्धारित केन्द्रांश शून्य} तथा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के निर्माण कार्य की लागत रू. 1500/– प्रति व्यक्ति जिस पर 20 प्रतिशत {निर्धारित केन्द्रांश 20 प्रतिशत रू. 300/– प्रति व्यक्ति सम्मिलित} है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड–लाइन्स के अनुसार उपरोक्त समस्त कार्यों हेतु राज्यांश की लागत केन्द्रांश के सापेक्ष न्यूनतम् 33 प्रतिशत (अर्थात रू0 100/–प्रति व्यक्ति) (75:25) के अनुपात में होनी अपेक्षित है। यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार की गाइड–लाइन्स के अनुसार घरेलू स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु केन्द्रांश व राज्यांश दो बराबर किश्तों में (प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष यू.सी. स्वीकृत होने पर द्वितीय किश्त) सम्बंधित लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बंध में निदेशक (पी.एच.ई./एच.सी. डिविज़न), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यक्रम को सफ़ल बनाने के लिये कतिपय राज्यों में घरेलू स्वच्छ शौचालय के निर्माण कार्य हेतु राज्यांश की धनराशि रू. 8000/– से रू. 13000/– प्रति शौचालय निर्धारित की गई है। इस सम्बंध में विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत एवं कार्यक्रम को सफ़ल बनाने हेतु सदस्यों के सुझाव पर सम्यक विचारोपरांत समिति द्वारा घरेलू स्वच्छ शौचालय के निर्माण कार्य तथा घरेलू पिट–युक्त शौचालय व घरेलू अस्वच्छ (बहाव/उठाऊ/सर्विस) शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किये जाने सम्बंधी निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश के समान ही राज्यांश रू. 4000/– प्रति शौचालय वहन की जायेगी तथा लागत की अवशेष धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी। सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश के समान ही राज्यांश रू. 26000/– प्रति सीट एवं निकायांश रू. 13000/– प्रति सीट, तथा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश के अतिरिक्त शेष समस्त धनराशि राज्यांश के रूप में वहन करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि कैपेसिटी बिल्डिंग (क्षमता संवर्धन)/प्रशासनिक कार्य तथा जन–जागरूकता एवं जन–सहभागिता तथा आइ.ई.सी. सम्बन्धी कार्य हेतु कार्य योजना में प्रस्तावित कुल लागत एवं केन्द्रांश की धनराशि के अन्तर के समतुल्य धनराशि राज्यांश के रूप में स्वीकृत की जाय तथा सार्वजनिक शौचालय के निर्माण कार्य की पूर्ण लागत पी.पी.पी. मोड पर कियान्वयन के माध्यम से सम्बंधित नगर निकाय द्वारा जुटायी जायेगी। **समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति करने पर ही केन्द्रांश एवं राज्यांश की प्रथम किस्त की धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।**

{कार्यवाहीः नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/नगरीय निकाय निदेशालय/सी. एण्ड डी. एस./सम्बंधित नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, सम्बंधित नगर निकाय}

6– "स्टेट मिशन डायरेक्टर" (एस.एम.डी.) नामित किये जाने का प्रस्ताव।

अवगत कराया गया कि नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 20जीआई/नौ–5–2015–355सा/14 दिनांक 14.1.2015 द्वारा कार्यक्रम के लिये निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ को 'नोडल अधिकारी' नामित किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार **"स्वच्छ भारत मिशन"** के लिये **निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ** को "नोडल अधिकारी" के स्थान पर **"स्टेट मिशन डायरेक्टर" (एस.एम.डी.)** नामित किया जाना अपेक्षित है, जिसके क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या–3363/नौ–5–15–355सा/2014टीसी, दिनांक 29 मई, 2015 द्वारा एसएलएनए/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को पदेन मिशन

निदेशक/नोडल अधिकारी नामित कर दिया गया है। समिति का कार्योत्तर अनुमोदन निवेदित है।

समिति द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ को कार्यक्रम हेतु 'स्टेट मिशन डायरेक्टर' नामित किये जाने की कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

{कार्यवाहीः नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/नगरीय निकाय निदेशालय}

7— **"स्टेट मिशन डायरेक्टर" (एस.एम.डी.) के आवश्यक सहयोग के लिये एस.एम.डी. के अधीन "प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट" (पी.एम.यू.) के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन।**

अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के गाइड–लाइन्स की अनुसार कार्यक्रम के लिये "स्टेट मिशन डायरेक्टर" के अन्तर्गत प्रदेश स्तर से समस्त नगर निकायों में कार्यक्रम का कियान्वयन कराये जाने तथा सम्बंधित नगर निकायों व विभिन्न सम्बंधित विभागों से समन्वय के लिये स्टेट मिशन डायरेक्टर को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिये "स्टेट मिशन डायरेक्टर" के अधीन "प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट" {जिसमें 1 आई.ई.सी. विशेषज्ञ, 1 एम.आई.एस. विशेषज्ञ, 1 सैनीटेशन विशेषज्ञ तथा सपोर्ट स्टाफ} का गठन "कैपेसिटी बिल्डिंग फण्ड" से किये जाने की अपेक्षा की गई है। यह भी अवगत कराया गया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि का सम्बंधित नगर निकायों को वितरण व समुचित नियंत्रण तथा यू.सी. के प्रेषण व स्वीकृति सम्बंधित कार्यों हेतु द्वारा प्रस्तावित किया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पी.एम.यू. में उल्लिखित विशेषज्ञों के अतिरिक्त एक वित्त विशेषज्ञ एवं पी.एम.यू. के अन्तर्गत सम्पादित/निष्पादित होने वाले कार्यों में सहायतार्थ एक परिचारक की आवश्यकता होगी। इसके परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित किया गया कि कार्यक्रम हेतु निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र./स्टेट मिशन डायरेक्टर के अधीन "प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट" का गठन एवं पी.एम.यू. के सन्दर्भ में चयन समिति का औपचारिक गठन व कार्मिकों को आबद्ध करने की प्रक्रिया तथा पी.एम.यू. में एक वित्त विशेषज्ञ तथा एक परिचारक के पदों को सम्मिलित किये जाने के संदर्भ में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिये जाये। सम्यक विचारोपरांत समिति द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के गाइड–लाइन्स के अनुसार कार्यक्रम के लिये निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र./स्टेट मिशन डायरेक्टर के अधीन "प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट" का गठन तथा पी.एम.यू. में संविदा पर 1 आई.ई.सी. विशेषज्ञ, 1 एम.आई.एस. विशेषज्ञ, 1 सैनीटेशन विशेषज्ञ तथा सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने जिसमें विशेषज्ञों एवं सर्पोट स्टाफ हेतु निर्धारित योग्यता तथा शर्तो को सम्मिलित किये जाने व निर्धारित प्रकिया के अनुसार चयनित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. से अपेक्षा की गई कि पी.एम.यू. में उल्लिखित विशेषज्ञों के अतिरिक्त एक वित्त विशेषज्ञ एवं एक परिचारक की आवश्यकता के सम्बंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

{कार्यवाहीः नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन / नगरीय निकाय निदेशालय}

8— **जनपद स्तरीय रिव्यू एवम् मानीटरींग कमेटी का गठन।**

अवगत कराया गया कि भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, के कार्यालय ज्ञाप संख्या–12/3/2015–एस0बी0एम0 दिनांक 05.04.2015 द्वारा उक्त समिति के गठन एवम् दायित्वों के सम्बन्ध में विस्तृत निदेश जारी किये गये है जिसके अनुसार समिति की अध्यक्षता जनपद के मा0 सांसद लोक सभा द्वारा की जायेगी तथा उक्त राज्य का

प्रतिनिधित्व करने वाले मा0 राज्य सभा सांसद उपाध्यक्ष होगें। अन्य सदस्यों के सम्बन्ध में भी उल्लेख है तथा उक्त समिति के सदस्य सचिव जनपद के जिलाधिकारी होगें।

निर्देश प्राप्त हुआ कि भारत सरकार के ज्ञाप दिनांक 15.04.2015 की प्रति समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित कराते हुये समिति का गठन कराकर एक माह में अवगत करायी जाय।

{कार्यवाहीः नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन / नगरीय निकाय निदेशालय}

9— भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के आहरण/संचालन /आवंटन आदि के सम्बन्ध में निर्णय।

अवगत कराया गया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के उपर्युक्त "कॉन्सेप्ट नोट/कार्य योजना" में वर्ष 2015—16 में 630 नगर निकायों में 386457 नग नये घरेलू स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कार्य, 58119 नग घरेलू पिट—युक्त शौचालयों तथा 107535 नग घरेलू अस्वच्छ शौचालयों का स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किये जाने सम्बंधी निर्माण कार्य, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आवश्यक संख्या में सामुदायिक शौचालय (कुल 20384 सीटों का प्राविधान किया गया है) तथा सार्वजनिक शौचालय (कुल 14690 सीटो का प्राविधान किया गया है) का निमार्ण कार्य, 5186867 व्यक्तियों हेतु सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाएं एवं राज्य मिशन निदेशालय/ 630 नगर निकाय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग (क्षमता संवर्धन)/प्रशासनिक कार्य तथा जन—जागरूकता एवं जन—सहभागिता तथा आइ.ई.सी. सम्बन्धी कार्य कुल अनुमानित लागत रू. 2148.3328 करोड़ (केन्द्रांश की धनराशि रू. 660.9738 करोड़ सम्मिलित है) प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित किया गया कि समिति द्वारा उपरोक्त कार्य योजना के सापेक्ष केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि तथा अब तक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवमुक्त रू. 86.07 करोड़ केन्द्रांश व तद्नुसार राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति, आवंटन, संचालन एवम् आहरण तथा इसके लिये उपयुक्त बजट मद के निर्धारण के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाय सम्यक विचारोपरांत समिति द्वारा अपेक्षा की गई इस सम्बंध में समुचित प्रस्ताव नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करते हुये 30 दिन में धनराशि आहरित करने/आवंटित करने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

{कार्यवाहीः नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/वित्त विभाग/नगरीय निकाय निदेशालय}

10— <u>कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त कुल रू. 86.07 करोड़ केन्द्रांश की धनराशि एवं उसके सापेक्ष प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य का अनुमोदन</u>।

अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015—16 के प्रस्तावित उपरोक्त लक्ष्य के सापेक्ष नये घरेलू स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कार्य तथा घरेलू पिट—युक्त शौचालयों एवं घरेलू अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन सम्बंधी निमार्ण कार्य हेतु रू. 28.19 करोड़, सामुदायिक शौचालय (कुल 6992 सीटों के लिये) के निर्माण कार्य हेतु रू. 9.09 करोड़, 5186867 व्यक्तियों हेतु सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रू. 37.56 करोड़, तथा कैपेसिटी बिल्डिंग (क्षमता संवर्धन)/प्रशासनिक कार्य हेतु रू. 2.24 करोड तथा जन—जागरूकता एवं जन—सहभागिता/ आइ.ई.सी. सम्बन्धी कार्य हेतु रू. 8.99 करोड़ अर्थात कुल रू. 86.07 करोड़ केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त की गई है। यह भी अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षानुसार समस्त नगर निकायों से शौचालयों के लिये लाभार्थियों के चिन्हीकरण व निर्माण हेतु लाभार्थियों के प्रस्तावों की स्वीकृति सम्बंधी कार्यवाही की प्रगति प्रेषित किये जाने हेतु निदेशक, नगर

निकाय निदेशालय, लखनऊ के कतिपय पत्रों द्वारा अपेक्षा की गई जिसके सापेक्ष अब तक 331 नगर निकायों द्वारा वांछित सूचना प्रेषित की गई है।

समिति को अवगत कराया गया कि अभी तक 20999 लाभार्थियों को स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु स्थानीय निकायों द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किये जा चुके है जिनके समक्ष रू0 4,1998000.00 की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की जानी है। तथा यह भी अवगत कराया गया कि प्रतिदिन निकायों द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है जिस पर नियमानुसार धनराशि जारी किये जाने हेतु स्टेट मिशन डायेक्टर को अधिकृत किया गया।

{कार्यवाही: नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/नगरीय निकाय निदेशालय/सम्बंधित नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, सम्बंधित नगर निकाय}

11- घरेलू स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र के हिन्दी प्रारुप का अनुमोदन।

अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत घरेलू स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु इच्छुक लाभार्थियों से प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रपत्र अंग्रेजी में होने के कारण तथा लाभार्थियों द्वारा भरने से कठिनाई होने की सूचना से कतिपय नगर निकायों द्वारा अवगत कराते हुए प्रश्नगत प्रपत्र के हिन्दी रुपान्तर की अपेक्षा की गई है। उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत तैयार किये गये अंग्रेजी प्रपत्र का हिन्दी रूपान्तर समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरांत समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

{कार्यवाही: नगरीय निकाय निदेशालय/सम्बंधित नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, सम्बंधित नगर निकाय}

उपर्युक्तानुसार हुए विचार-विमर्श तथा संस्तुति के पश्चात बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

06/7/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-3252(2)/नौ-5-2015-355सा/2014
लखनऊ: दिनांक 07 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह)
उप सचिव।